

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप सं०- 2/वि60-113/2017-...../

पटना, दिनांक/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत्यादेश संख्या 428 दिनांक 18.12.2012 के द्वारा योजना बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन-2002, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार विपत्र कोड-पी.2205001020101 मांग संख्या-8 के अन्तर्गत स्वीकृत एवं विपत्र संख्या 57/12-13, कोषागार प्रमाणक संख्या-पी/2205/00027 दिनांक 14.03.2013 के माध्यम से निकासी की गयी राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र में से अव्यवहृत राशि ₹ 7,120/- (सात हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र राजकोष में वापसी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत

- राजकोष में राशि की वापसी मांग सं०-08 के अधीन बजट शीर्ष 2205- कला एवं संस्कृति-911-घटाएं-अधिक अदायगियों की वसूलियाँ-0102-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी, विपत्र कोड 082205009110102 के अंतर्गत विषय शीर्ष-5001-अन्य प्रभार में की जायेगी।
- राशि की वापसी अवर सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से की जायेगी।
- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-428 दिनांक-18.12.2012 (प्रति संलग्न) के बिहार संगीत नाटक अकादमी को स्वीकृत राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र में से अव्यवहृत राशि ₹ 7,120/- (सात हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र राजकोष में वापसी की स्वीकृति दी गई है।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(राज कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक/

पटना, दिनांक/2018

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राज कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 878/

पटना, दिनांक 23/2/2018

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/11/18
22/2/18
(राज कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

रि०२१